श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2014 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1. **उपस्थिति** – यथा पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक के उद्देश्यों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया।

आज दिनांक 08.07.2014 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचल अधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के साथ राजस्व एवं श्रावणी मेला, 2014 की तैयारी से संबंधित समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी। जिला के सभी उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाले कॉवरिया पथ पर सतत् निगरानी रखेंगे। मुंगेर जिला का 26 किलोमीटर कॉवरिया पथ पड़ता है। मेला में यातायात, सफाई, सुरक्षा विद्युत पेयजल, चिकित्सा, विधि व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठहरने एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। आप इस पर हमेशा सतत् निगरानी रखेंगे। कॉवरिया पथ कुमरसार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पर बड़ा पन्डाल Water Proof लगाने का निदेश दिया गया है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए Stage बनाना है। इसके लिए कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को निदेशित किया गया है।

2. **भू–अभिलेख कम्प्युटराईजेशन :–**

भू–अभिलेख कम्प्युटराईजेशन के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला के सदर अंचल एवं धरहरा अंचल में प्रपत्र – 2 एवं प्रपत्र – 3 का सत्यापन कार्य कम हुआ है। सदर अंचल में अभी तक मात्र 17 प्रतिशत ही सत्यापन का कार्य हुआ है। सदर अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी प्रमोद कुमार द्वारा 5%, हरेन्द्र सिंह द्वारा 01%, प्रमोद कुमार द्वारा 03%, एवं विनय कुमार वर्मा द्वारा 0% सत्यापन का कार्य किये हैं। अपर समाहर्त्ता को निदेश दिया जाता है कि इन सभी राजस्व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर इनकी कार्य की समीक्षा करेंगे।

जिला के सभी अंचल अधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त को अवगत कराया गया कि विभाग से माह अगस्त तक भू–अभिलेख कम्प्युटरीकरण कार्य समाप्त करने का समय निर्धारित है। कम्प्युटरीकरण कार्य हेतु एजेन्सी भी चयनित किया गया है, जो जिला सूचना भवन में कार्यरत है। जिला राजस्व कार्यालय से प्रपत्र- 02 एवं प्रपत्र – 03 प्राप्त कर रैयतों से प्राप्त प्रपत्र – 02 का सत्यापन कर कम्प्युटराईजेशन हेतु जमा करना सुनिश्चित करें।

सभी अंचल अधिकारी/बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि समय–सीमा के अन्दर कार्य पूरा करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु लिखा जायेगा।

3. बेदखली :–

बेदखली से संबंधित अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन इस प्रकार है :–

क्रमांक	अंचल का नाम	दिनाक 31.3.14 तक बेदखली के लंबित मामले		दिनाक 01.04.14 से गत माह तक दायर मामले		प्रतिवेदित माह मे दायर मामले		बेदखली के कुल मामले		दिनाक 01.04.14 से गत माह तक दखल कब्जा दिलाये गये मामले		प्रतिवेदित माह में दखल कब्जा दिलाये गये मामले		दखल कब्जा दिलाये गये कुल मामले		शेष लम्बित मामले		अभ्युक्ति
		सख्या	रकबा	सख्या	रकबा	सख्या	रकबा	सख्या (3+5+7)	रकबा (4+6+8)	सख्या	रकबा	सख्या	रकबा	सख्या (11+13)	रकबा (12+14)	सख्या (9-15)	रकबा (10-16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सदर	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
2	जमालपुर	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
3	धरहरा	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
4	बरियारपुर	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
5	खड़गपुर	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
6	टेटियाबम्बर	1	0.39	0	0	0	0	1	0.39	0	0	0	0	0	0.00	1	0.39	दखल दिलाने की कार्रवाई की जा रही है
7	तारापुर	7	2.29	0	0	0	0	7	2.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	2.29	भू-हदबंदी से संबंधित कुल सात मामले पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया है।
8	असरगंज	0	0	1	0.03	0	0	1	0.03	0	0	0	0	0	0.00	1	0.03	व्यवहार न्यायालय में वाद विचाराधीन है
9	संग्रामपुर	1	0.06250	0	0	0	0.0000	1	0.0625	0	0	0	0	0	0.00	1	0.0625	दखल दिलाने की कार्रवाई की जा रही है
	कुल	9	2.7425	1	0.03	0	0.0000	10	2.7725	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	2.7725	

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला के कुल 10 मामले लम्बित हैं, जिसमें टेटियाबम्बर में 01, तारापुर में 07, असरगंज में 01, संग्रामपुर में 01। अंचल अधिकारी, तारापुर द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में सभी मामले हैं। उन्हें निदेश दिया जाता है कि सभी मामले को उच्च न्यायालय का आदेश/याचिका के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष देंगे। यदि उच्च न्यायालय द्वारा रोक नहीं है, तो उसपर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला के सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सामान्य प्रकृति के सभी प्रकार के जो बेदखली के मामले हैं, उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेदखली के मामले की अलग से समीक्षा हेतु ऑकडो की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति [illegible] से संबंधित राज्यस्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति में प्रस्तुत किया जाता है। अतः संधारित सभी आंकडे अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के बेदखली से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रत्येक माह बैठक के पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे। बेदखली के मामले का अभियान चलायें, जिसमें समाजसेवी संगठनों की भी मदद ली जाय। सरकारी भूमि का वितरण जिन सुयोग्य श्रेणी के लोगों के बीच किया गया है, उनके बेदखली के मामले प्रकाश में आने पर बी0एल0डी0आर0 एक्ट के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में मामले भी दर्ज करायें जायें। यह भी निदेश दिया जाता है कि सभी प्रकार के वितरित भूमि का भौतिक सत्यापन भी युद्ध स्तर पर कराने की कार्रवाई की जाय।

4. भूमि बन्दोबस्ती :–

भू-हदबंदी, भूदान, गैरमजरूआ आम एवं मालिक, भूमि के अर्जन, प्राप्ति, वितरण, अधिशेष एवं वितरण अयोग्य भूमि के प्रतिवेदन के समीक्षा में पाया गया कि अंचल अधिकारी, खड़गपुर को छोड़कर किसी अंचल अधिकारी द्वारा विभागीय निदेश एवं प्रपत्र के आलोक में प्रतिवेदन नहीं दी गयी है, जिसमें भूमि के संबंध में अन्तिम निष्कर्ष नहीं मिल पा रहा है। प्रतिवेदित ऑकड़ों में से अंचल वार स्थिति निम्नवत् है :–

क्रमांक	अंचल का नाम	अयोग्य गैरमजरूआ आम भूमि का रकवा	अयोग्य गै0 मालिक भूमि का रकवा
1	सदर	255.48	660.45
2	जमालपुर	380.86	644.5050
3	धरहरा	328.91	27.90
4	बरियारपुर	388.16	193.15
5	ह0 खडगपुर	21515.58	17223.96
6	टेटिया बम्बर	5191.36	3289.4350
7	तरापुर	495.16	178.20
8	असरगंज	462.84	245.54
9	संग्रामपुर	453.83	0.00

उपरोक्त के सत्यापन हेतु विगत 03 राजस्व समन्वय समिति की बैठकों में भी स्मारित किया जा रहा है।

सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि विभाग से प्राप्त विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा बाध्य होकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

5. **भू–लगान :–**

भूलगान से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा अंचलवार की गयी, जो निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल का नाम	लगान वसूली की राशि	प्रतिशत
1	सदर	**155970.00**	**6.92**
2	जमालपुर	**72307.00**	**4.78**
3	धरहरा	**90556.00**	**2.60**
4	बरियारपुर	**129066.00**	**8.61**
5	ह0 खडग्पुर	**95885.00**	**2.69**
6	टेटियाबम्बर	**63577.00**	**10.76**
7	तरापुर	**223890.00**	**12.96**
8	असरगंज	**84868.00**	**9.08**
9	संग्रामपुर	140832.00	7.29
	कुल वसूली	**1056951.00**	**6.04**

सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि भू–लगान का रसीद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। के0सी0सी0 प्राप्त करने हेतु एल0पी0सी0 की आवश्यकता होती है, जिसमें लगान रसीद आवश्यक है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निष्पादित दाखिल–खारिज वादों में भी लगान रसीद रैयतों को देना पडता है। यदि किसी भी स्तर से लगान रसीद के संबंध में रैयतों को नहीं देने की शिकायत प्राप्त होती है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

6. **दाखिल – खारीज :–**

दाखिल खारीज से संबंधित अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार माह जून, 2014 में निष्पादित वादों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	अंचल का नाम	31.03.14 तक कुल लम्बित वादों की संख्या	01.04.14 से गत माह तक दायर वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में कुल दायर वादों की संख्या	कुल दायर वादों की संख्या (3+4+5)	01.04.14 से गत माह तक निष्पादित वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में निष्पादित वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या (7+8)	कुल लम्बित वादों की संख्या (6–9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सदर	82	282	277	641	297	235	532	109
2	जमालपुर	11	155	100	266	144	111	255	11
[illegible]	धरहरा	35	2	105	142	0	0	0	142
4	बरियारपुर	108	113	168	389	160	51	211	178
5	ह0 खडगपुर	66	230	195	491	239	91	330	161
6	टेटिया बम्बर	12	31	87	130	23	74	97	33
7	तारापुर	26	187	286	499	69	266	335	164
8	असरगंज	48	164	87	299	108	106	214	85
9	संग्रामपुर	15	106	0	121	55	0	55	66
	कुल योग :–	403	1270	1305	2978	1095	934	2029	949

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सबसे अधिक मामले लंबित अंचल अधिकारी, बरियारपुर के पास 178, तारापुर – 164, ह0 खडगपुर – 161 एवं धरहरा के पास 142 है। संबंधित अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत वादों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें अन्यथा समय–सीमा के पार होने के पश्चात् करने पर आप आर्थिक दण्ड के भी भागी होंगे।

गत बैठक में जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को निदेश दिया गया था कि दाखिल खारीज के लम्बित मामले की जॉच अपने क्षेत्रान्तर्गत की जाय एवं अधोहस्ताक्षरी को जॉच प्रतिवेदन भेजा जाय। परन्तु एक भी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया। इस तरह का कृत्य विभागीय निदेश/उच्चाधिकारी का आदेश का अवहेलना माना जाएगा। भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए।

7. **भूदान :–**

भूदान से संबंधित भूमि का सम्पुष्टि के मामले भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर के यहॉ से होना है। जिला के सभी अंचल अधिकारी/मैत्री भूदान यज्ञ समिति को निदेश दिया जाता है कि सम्पुष्ट वितरण योग्य भूमि/वितरण अयोग्य भूमि की भी सॅपुष्टि उसकी भौतिकी जांच के पश्चात करायी जाय। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर को भी निदेश दिया जाता है कि उनके यहॉ सम्पुष्टि हेतु जितनी सूची लम्बित है, सभी संबंधित को भेजते हुए एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी भेजेंगे।

8. **<u>महादलित विकास योजना :–</u>**

महादलित विकास योजना के अंतर्गत वैसे सभी महादलित परविारों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने की योजना है, जो वास विहीन है। इस दिशा में पूर्व प्रथम सर्वेक्षित परिवार को भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। द्वितीय चरण के खडगपुर अंचल के 27 महादलित वासहीन परिवार को क्रयनीति के तहत कराना है। अंचल अधिकारी, असरगंज को 04 एवं अंचल अधिकारी संग्रामपुर को 23 वासहीन परिवार में से 16 को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 07 के बारे में अंचल अधिकारी, संग्रामपुर द्वारा बताया गया कि इस माह में उपलब्ध

करा दी जाएगी। क्रयनीति के तहत अंचल अधिकारी खड़गपुर को बताया गया कि भूमि का चयन कर लिया जाय तथा रैयत की सहमति प्राप्त कर ली जाय, ताकि विभाग से आदेश निकलते ही एम0भी0आर0 पर क्रय की कार्रवाई प्रारंभ कर एक माह में इसका निष्पादन कराया जा सके।

जिला के सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि पुर्नसर्वेक्षण अपने स्तर से वासहीन परिवार को चिन्हित कर लिया जाय, ताकि उन्हें भी भूमि उपलब्ध कराया जा सके।

9. बिहार गृहस्थल क्रयनीति 2011 :–

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्गो के सुयोग्य श्रेणी के गृहविहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इसके लिए सर्वेक्षण का उपबंध/सर्वेक्षण राशि का कर्णांकित किया जाना एवं एम0भी0आर0 पर क्रय किये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि तत्काल अनुसूचित जाति (महादलित छोड़कर) अनुसूचित जनजाति के पिछड़े वर्गों के वासविहीन परिवारों का सर्वेक्षण प्रारम्भ कर सूचीबद्ध किया जाय, ताकि इस दिशा में विभाग से आदेश प्राप्त होते ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

10. जनशिकायत संबंधी आवेदन पत्रों के निष्पादन के संबंध में :–

जनशिकायत से सबधित प्रतिवेदन माह जून, 2014 की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पायी गयी :–

क्र0	अंचल का नाम	मुख्यमंत्री जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की सख्या	निष्पादित	लंबित	सचिवालय से प्राप्त आवेदनों की सख्या	निष्पादित	लंबित	जिला जनता दरबार से प्राप्त आवेदनों की सख्या	निष्पादित	लंबित
	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	सदर	15	9	6	0	0	0	213	6	207
2	जमालपुर	2	2	0	0	0	0	25	23	2
3	धरहरा	2	0	2	0	0	0	2	0	2
4	बरियारपुर	0	0	0	0	0	0	18	11	7
5	ह0 खड़गपुर	0	0	0	3	0	3	52	21	31
6	टेटियाबम्बर	4	0	4	0	0	0	18	0	18
7	तारापुर	5	4	1	0	0	0	12	9	3
8	असरगंज	0	0	0	1	1	0	31	28	3
9	संग्रामपुर	2	1	1	0	0	0	4	4	0
	कुल योग :–	30	16	14	4	1	3	375	102	273

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सबसे अधिक मामले सदर अंचल से संबंधित लंबित है। जिला के सभी अंचल अधिकारियो को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में जनता दरबार से प्राप्त आवेदन पत्रों का निष्पादन एक माह के अन्दर करना सुनिचित करें।

11. सेवान्त लाभ :–

सभी अंचल अधिकारियों को बताया गया कि प्रत्येक माह विभाग के स्तर से सेवान्त लाभों की प्रगति की गहन समीक्षा की जाती है। ऑकडे अप्राप्त रहने के कारण समीक्षा के दौरान पूरी वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से कई बार पत्र भी निर्गत किये गये हैं।

जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि सेवान्त लाभ के मामलो पर विशेष ध्यान देकर उसका त्वरित निष्पादन कराया जाय तथा प्रत्येक माह की 05वीं तिथि तक

वित्त विभाग द्वारा संधारित विहित प्रपत्र सं0 I, II, III, IV एवं V में वांछित सूचना स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए विशेष दूत के माध्यम से प्रतिवेदन भेजी जाय, ताकि सेवान्त लाभ से संबंधित वाद या याचिका कम से कम न्यायालय में दायर हो सके।

12. <u>ए0सी0 डी0सी0 विपत्र से संबंधित :-</u>

ए0सी0 डी0सी0 विपत्र से संबंधित प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि धरहरा अंचल में 954/--रूपये, खड़गपुर 5120/-- रूपये, जिला नजारत 200000/-- रू0, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता 4500/-- रूपये का डी0सी0 विपत्र शेष रह गया है। कुछ अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा डी0सी0 विपत्र महालेखाकार में जमा करा दी गयी है।

सभी अंचलाधिकारियो को बताया गया कि लम्बित विपत्रों को Google Drive पर डाल दिया गया है। डी0सी0 विपत्र जमा होने पर विपत्रों को Google Drive पर शेयर करने का निदेश भी विभाग से दिया गया है।

13. <u>न्यायालीय मुकदमों का निष्पादन के संबंध में :-</u>

न्यायालीय मुकदमों का निष्पादन से संबंधित समीक्षा प्रत्येक माह मुख्य सचिव के द्वारा विभागीय प्रधान सचिवों के साथ विभागवार की जाती है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित स्थिति संतोषप्रद नहीं है।

जिला के सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0 के मामलों में शपथ पत्र/कारणपृच्छा तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित सरकारी अधिवक्ता भेजा जाय। जिन मामलों में प्रतिशपथ पत्र कारणपृच्छा दायर हो चुका है, उसकी शपथ पत्र सं0 एवं तिथि अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाय, ताकि ई-मेल द्वारा विभाग को सूचित कर दिया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक कार्रवाही समाप्त हुई।

ह0/-
समाहर्त्ता
मुंगेर।

ज्ञापांक 03 (मु0) दिनांक 18-7-14

प्रतिलिपि - सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त, आई0 टी0 प्रबंधक, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 18.7.14
समाहर्त्ता
मुंगेर।

ज्ञापांक............/दिनांक................./

प्रतिलिपि :- आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
समाहर्त्ता
मुंगेर।